समाचार–प्रकाशनार्थ :–

अस्वच्छता प्रदूषण की जननी और असभ्यता की निशानी है

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के अवसर पर झोन में स्थित सार्वजनिक शौचालय संचालकों का सम्मान किया गया। नगर निगम आयुक्त ने कचरे को अलग–अलग ड़स्टबिन में एकत्र करने वाले व्यापारी बंधुओं का आभार माना,वार्ड के रहवासियों को स्वच्छता एप से भी अवगत कराया

रतलाम 05 दिसम्बर । नगर की स्वच्छता बात आती है तो सभी सरकारी तंत्र पर निर्भर हो जाते है। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती हैं तथा हम सभी को मिल कर नगर को स्वच्छ रखने का सहयोग देना चाहिए। शहर को आदर्श नगर बनाने के लिए स्वच्छता सभी की पहली प्राथमिकता होना चाहिए।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के परिणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत रविवार को शहर के चारों झोन में स्थित सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने संचालकों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरुक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीगणों आदि का सम्मान किया गया है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता में सहयोग करने वाले सार्वजनिक शौचालय संचालको का सम्मान किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

स्वच्छता ईश्वर को भी प्रिय है। ईश्वर का कृपापात्र बनने की दृष्टि से ही नहीं अपितु अपने मानव जीवन को भी सुखी सुरक्षित और तनावमुक्त बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। मलिनता या गंदगी न केवल आंखों को बुरी लगती है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। गंदगी रोगों को जन्म देती है। अस्वच्छता प्रदूषण की जननी और असभ्यता की निशानी है।

स्वच्छता केवल प्रशासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती। इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी परम आवश्यक हाती है। हम अनेक प्रकार से स्वच्छता से योगदान कर सकते हैं, जैसे घर का कूड़ा–करकट गली या सडक़ पर न फेंकें। उसे कचरा संग्रहण वाहन में ही डाले। कूड़े–कचरे को नालियों में बहाएं। इससे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। गंदा पानी सडक़ पर बहने लगता है।

नागरिक अमानक पॉलिथीन का बिल्कुल प्रयोग ना करें। यह गंदगी बढ़ाने वाली वस्तु तो है ही, पशुओं के लिए भी बहुत घातक है। घरों के शौचालयों की

गंदगी नालियों में न बहाएं। इसके अलावा नागरिक घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग–अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर–1 बना पाएगे, इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए। कोविड–19 की संभावित तीसरी लहर की आहट को देखते हुए सभी माँस्क का उपयोग करे, भीड़ से बचे और दो गज की दूरी बनाते हुए हाथों को सैनेटाईज करना नही भूले।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी सर्वश्री ए.पी.सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

05 दिसम्बर को 71 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 05 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 05 दिसम्बर रविवार को 71 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

05 दिसम्बर रविवार को डम्पर से 21610, ट्रेक्टर से 24105, काम्पेक्टर सूखा कचरा 12045 व काम्पेक्टर गीला कचरा 13320 किलो इस तरह कुल 71080 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 05 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2190 हितगाहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 95 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 05 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 05 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जान पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो मं गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 05.12.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.